कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)

// कार्यालय आदेश //

क्रमांक-**23**/दो-11-1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 27 जनवरी 2024

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-3467/13 एफ0सी0 (कोर्ट मैनेजर) बिलासपुर दिनांक 06.05.2013 एवं छ0ग0 विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2955/1145/21-ब/छ0ग0/13 दिनांक 11.04.2013 के द्वारा कोर्ट मैनेजर के अमले हेतु सृजित सहायक ग्रेड-3 (संविदा) के पद पर छ0ग0 उच्च न्यायालय (कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम-2012 के आलोक में भर्ती एवं चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप **मासिक संविदा वेतन रूपए 18,000/-** (एकमुश्त अठारह हजार रूपए प्रतिमाह) पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण दिनांक से निम्नांकित शर्तों के अधीन पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-

सरल क्रमांक	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	अभ्यर्थी का वर्ग	चयनित संवर्ग
1	*CS0060*	श्री कौशल दास मानिकपुरी आ0 श्री पुनीत लाल मानिकपुरी पता ग्राम-रतनपुर, पो0 कंदरई, जिला-सूरजपुर पिन-497226	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित (मुक्त)

टीप : चयनित अभ्यर्थी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

-: नियुक्ति की शर्तें :-

(1) कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदक आवश्यक रूप से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे, साथ ही अवलोकन हेतु मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगे, जिसके सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

(3) आवेदक जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह शासकीय सेवा हेतु शारीरिक रूप से सक्षम (फीट) है, तभी कार्यभार ग्रहण करने दिया जावेगा।

(2) आवेदक जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से एक माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह शासकीय सेवा हेतु शारीरिक रूप से सक्षम (फीट) है, यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया, तो उसकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगी।

(3) नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेगा, यदि चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।